COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 Rs. २० रु.

151

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांकः- /१२ निगरानी – R-254-I/13

रामगोपाल पिता रामचन्द्र धाकड़ निवासी ग्राम सुजावता तहसील जावरा जिला रतलाम (म०प्र०)

.........आवेदक

विरूद्ध

प्रेमनारायण पिता वरदीचन्द्र वनोपा निवासी नया मालीपुरा जावरा जिला रतलाम (म०प्र०)

.............अनावेदक

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक ०७/निगरानी/११.१२ में पारित आदेश दिनांक २६/११/१२ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि, प्रस्तुत करता है।

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म.प्र.भू.रा.संहिता

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक प्रेमनारायण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय जावरा जिला रतलाम के समक्ष धारा ११५, ११६ भू०रा०संहिता के अर्न्तगत आवेदन प्रस्तुत कर भूमि सर्वे नं० २४६/२ रकबा १.१३८ हे० जिसकी लेखांकित भूमि स्वामी स्व० नन्दीबाई बेवा भेरूलाल का स्वर्गवास दिनांक ०८.०१.२००३ को हो चुका है वर्ष २००३-०४ के राजस्व रिकार्ड में भूमि का रकबा अकारण ही कम किया गया उनके द्वारा बिकी, वहन, वय, दान आदि नहीं किया गया किन्तु उक्त वर्षो के पश्चात भूमि खाते से कम की गई जो गलत निरर्थक है इसलिये मेरी भूमि का नक्षा दुरूस्त किये जाने का यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है इस पर प्रार्थी द्वारा एक आवेदन धारा ३२ के अर्न्तगत प्रस्तुत किया, जिसमें यह आपत्ति की गई कि मृत नन्दीबाई पति भेरूलाल के नाम से कृषि भूमि रही है व नन्दीबाई का स्वर्गवास ०८/०१/०३ को हो गया है उनके द्वारा अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की है तथा नन्दीबाई के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज नहीं हुआ है एसी स्थिति में मृतक के स्थान पर अनावेदक प्रेमनारायण को आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है इस कारण यह आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है, तहसीलदार महोदय जावरा द्वारा प्रकरण क्रं० ०१/अ-६-अ/११.१२ में पारित आदेश दिनांक ०७.०४.१२ के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी वैधानिक आधारों

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-254-एक/13 **जिला** रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	